२०रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

१०रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(११)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–बैतूल

अपील– 4493/2018/बैतूल/आ.अ.

मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया, जिला–धार (म.प्र.)

...... अपीलार्थी

विरूद्ध

(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
(2) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल (म.प्र.)
(3) जिला आबकारी अधिकारी जिला बैतूल (म.प्र.)
(4) प्रभारी अधिकारी मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड सेजवाया जिला – धार (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थीगण

12.7.18

9.8.18

10.7.18

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5/(1)/2018–19/2509 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 62(2)–सी के अधीन अपील।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-11-2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-6-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 5(1)2016-17/150 दिनांक 29-4-2016 से अपीलार्थी कम्पनी को देशी मदिरा प्रदाय हेतु वर्ष 2016-17 के लिए उसे प्रदाय क्षेत्र जिला बैतूल के मद्यभाण्डागारों में, एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा, स्टोरेज भाण्डागार बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही पर अवधि माह अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 तक एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/2509 में दिनांक 11-6-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला बैतूल के देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में उपरोक्त अवधि में कुल 730 दिवस कांच की बोतलों में, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 1,82,500/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 2,02,500/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित	

किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के मध्य एक संविदा है और संविदा अधिनियम की धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत यदि किसी पक्ष को हानि होती है तो, उसकी पूर्ति कराई जा सकती है, किन्तु इस प्रकरण में शासन को कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि अपीलार्थी कम्पनी मदिरा का पर्याप्त संग्रह हमेशा बनाये रखा है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि निर्धारित स्कंध नहीं रखे जाने से शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है तो इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । अत: प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व लायसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि कांच की बोतलों का प्रदाय फुटकर ठेकेदारों द्वारा नहीं उठाया जाता है, क्योंकि फुटकर ठेकेदार मांग के अनुसार प्रदाय उठाते हैं । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में प्रदाय को अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, इस व्यवहारिक स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया है । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला बैतूल के मद्यभाण्डागारों में, एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलो में निर्धारित संग्रह नहीं रखा गया है, अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टत: उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र जिला बैतूल के देशी मदिरा, स्टोरेज भाण्डागार बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही पर अवधि माह अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 तक कुल 730 दिवस कांच की बोतलों में,

एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखा गया है । जबकि मद्यभाण्डागारों पर एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना विहित वैधानिक व्यवस्था है, जिसका उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाना प्रमाणित है । भले ही अपीलार्थी द्वारा निर्धारित स्कंध नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 20,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में उपरोक्त अवधि में कुल 730 दिवस कांच की बोतलों में, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 1,82,500/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 2,02,500/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11-6-2018 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष